

## निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 (कल्पनी नियम और आदेश)

प्रस्तुप 24क  
(स्थिर 85खं देखिए)

यह प्रूल्प आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय को एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न दि



| अप्र० 2022-23 |   |  |               |  |            |
|---------------|---|--|---------------|--|------------|
| क्रम सं.      | अभिदात्री व्यक्ति/<br>कंपनी का नाम<br>और पूरा पता | पेन (यदि कोई हो)<br>और आय-कर वार्ड<br>/ सर्किल | अभिदाय<br>रकम | अभिदाय की रीति।<br>(वैक/ मांगदेख<br>झापट/ नकद) | टिप्पणियां |
| निरेक         | निरेक   | निरेक  | निरेक         | निरेक  | निरेक      |

\*चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239के अधीन अधिक का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की रूपी चाहिए)।

मैं नेवंड मिन्ड में (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री भौवली हूँ ~ घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रस्तुति में दी गई जानकारी ठीक, सूर्ण और सही है।

मैं वह घोषणा करता हूँ कि मैं, ऊपर नामित राजनीतिक दल की ओर से.....*(अंग्रेजी)* की अपनी हसियत में इस प्रस्तुति को सत्यापित्त कर रहा हूँ और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूँ।

(कोषाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

तारीख : \_\_\_\_\_  
स्थान कुमाऊ राज्य

छत्तीसगढ़ मुवित्त मोर्धा  
जिला-बालोद १३ ॥ १

## अध्यक्ष

देव एवं भूमिका  
प्राचीन अध्यक्ष  
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा  
जिला-यात्रोद (छ.ग.)

अधिसंचयन सं. का० आ० 1283 (अ). तारीख 10 नवंबर 2003 द्वारा अंतःस्थापित।